



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220921
CG-DL-E-06082020-220921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942
No. 191] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2020

मामला सं.(एसएसआर) 16/2019

विषय:कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रणों का फास्फोरिक एसिड(कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच।

फा.सं.07/28/2019-डीजीटीआर.—क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (इसके पश्चात अधिनियम के रूप में भी संदर्भित) और उसका समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आंकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (इसके पश्चात “नियमावली” के रूप में भी संदर्भित) के संबंध में;

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी को कोरिया गणराज्य (इसके पश्चात “संबद्ध देश” के रूप में संदर्भित) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रणों का फास्फोरिक एसिड(कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)” (इसके पश्चात “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” के रूप में भी संदर्भित) के आयातों पर इस अधिनियम और नियमावली के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए मै. गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लि. और मै. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (इसके पश्चात “आवेदकों” के रूप में भी संदर्भित) के दिनांक 27 नवंबर, 2019 को एक संयुक्त आवेदन प्राप्त हुआ।

2. इस मूल जांच की शुरुआत कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रणों का फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) के संबंध में घरेलू उद्योग पर पाटन की प्रकृति और इसकी सीमा तथा इसके क्षतिकारक प्रभाव की जांच करने के लिए दिनांक 12 नवंबर, 2008 को की गई थी। प्राधिकारी ने दिनांक 24 अप्रैल, 2009 के अंतिम प्रारंभिक जांच परिणाम सं. 4/7/2007-डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के विरुद्ध अनंतिम शुल्क जिस पर दिनांक 22 जून, 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 74/2009-सीमा शुल्क के माध्यम से लगाया गया था के अधिरोपण की सिफारिश की। उसके बाद प्राधिकारी ने दिनांक 11 नवंबर, 2009 की अपनी अंतिम जांच परिणाम सं. 14/07/2007-डीजीएडी के माध्यम से यह पाया कि संबद्ध वस्तुओं का निर्यात संबद्ध देश से पाटित कीमतों पर किया गया था जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई। इस कारण से, प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जिसे पांच वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 15 दिसंबर, 2009 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 140/2009-सीमा शुल्क के माध्यम से लागू किया गया था।
3. प्राधिकारी ने दिनांक 20 जून, 2014 को निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की। इस जांच के निष्कर्ष के लंबित रहने तक, लागू शुल्कों को दिनांक 23 जुलाई, 2014 की अधिसूचना सं.32/2014-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से 21 जून, 2015 तक बढ़ाया गया था। प्राधिकारी ने दिनांक 19 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 15/7/2014-डीजीएडी के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए रखा। प्राधिकारी के जांच परिणामों को दिनांक 24 अगस्त, 2015 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 45/2015-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से लागू किया गया था और इन शुल्कों को 23 अगस्त, 2020 तक जारी रखा गया था।
4. इस अधिनियम की धारा 9 क (5) के संबंध में लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पूर्व में रद्द नहीं किया गया हो तो इस प्रकार के लगाए जाने की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर लागू नहीं रहेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। इसके अलावा इस नियमावली के नियम 23 (1बी) में निम्नलिखित प्रावधान है :

"किसी..... बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"
5. उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए विधिवत् प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस तथ्य की समीक्षा करें कि क्या पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
6. आवेदकों ने पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत करने का अनुरोध करते हुए और कोरिया गणराज्य से सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रणों के फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की मांग करते हुए दिनांक 27 नवंबर, 2019 को एक आवेदन दायर किया। यह अनुरोध इन आधारों पर किया गया था कि शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना थी।
7. घरेलू उद्योग की ओर से दायर किए गए पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत् प्रमाणित आवेदन को देखते हुए और इस नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करने और इस तथ्य की जांच करने कि क्या उक्त पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है के संबंध में दिनांक 27 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 7/28/2019-डीजीटीआर के माध्यम से निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत की।

ख. प्रक्रिया

8. वर्तमान समीक्षा के क्षेत्र में दिनांक 11 नवंबर, 2009 की अंतिम जांच परिणाम सं. 14/07/2007-डीजीएडी और दिनांक 19 जून, 2015 की अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना 15/7/2014-डीजीएडी जिसके द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और उसके जारी रहने की सिफारिश क्रमशः की गई थी, के सभी पहलू शामिल हैं।
9. यहां नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने दिनांक 27दिसंबर, 2019 की अधिसूचना सं. 7/28/2019-डीजीटीआर के माध्यम से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के विरुद्ध निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में एक आम सूचना प्रकाशित की।
 - ii. आम सूचना की एक प्रति इस नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित की गई थी ताकि संबद्ध जांच की शुरुआत के बारे में उन्हें सूचना दी।
 - iii. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को इसके दूतावास के माध्यम से और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने लिखित रूप में उसके लिए अनुरोध किया था, को इस आवेदन की अगोपनीय पाठन की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन की अगोपनीय पाठ की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई थी और उसे जहां कहीं भी अनुरोध किया गया था अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई थी।
 - iv. प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हुए आम सूचना की एक अग्रेषित की और जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में निर्धारित किए गए अनुसार समय सीमा के भीतर अथवा बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए तथा इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए उन्हें अवसर उपलब्ध कराया।
 - v. प्राधिकारी ने निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को इस अधिसूचना की प्रतियां अग्रेषित की:
 - क) अलटेककोरिया कारपोरेशन
 - ख) एपेक्स कारपोरेशन
 - ग) आल ए ट्रेडिंग कारपोरेशन
 - घ) बीआर कारपोरेशन
 - ङ) सेनको मार्केटिंग,इंक
 - च) डीसी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
 - छ) एनट्रो कारपोरेशन
 - ज) मेटाकेम कारपोरेशन
 - झ) मिराकल ब्रेकर्स कंपनी लिमिटेड
 - ञ) ओसीआई कंपनी लिमिटेड
 - ट) सेबिट केम कंपनी लिमिटेड
 - ठ) सेमयोंग टेक कंपनी लिमिटेड
 - vi. संबद्ध देश की सरकार को भारत में इसके दूतावासके माध्यम से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशउत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें। इस पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति जिसे ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी गई थी, संबंधित संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ संबद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गई थी।

- vii. कोरिया गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।
- viii. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की:
- क) अल्ब्राइट एंड विल्सन केमिकल्स लिमिटेड
 - ख) बर्जर ऑटो एंड इंडस्ट्रियल कोटिंग्स लिमिटेड
 - ग) बेटजेडियरबॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - घ) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड
 - ङ) भविता केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
 - च) कारबोरडम यूनिवर्सल लिमिटेड
 - छ) सी.जे. शाह एंड कंपनी
 - ज) ऐक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 - झ) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
 - ञ) हिंदू लीवर केमिकल्स लिमिटेड
 - ट) आईसीआई इंडिया लिमिटेड
 - ठ) जयदीप एजेंसीज
 - ड) एलजी इलैक्ट्रानिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - ढ) मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
 - ण) फार्माकिम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - त) सुदीप फार्मा लिमिटेड
 - थ) मै. हाई पोलिमर्स लैब्स लि.
 - द) टोनिरा फार्मा लिमिटेड
 - ध) टोरेट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
 - न) तोसिससिल्कटेक्स
- ix. निम्नलिखित आयातक/प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:
- क) संदीप आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- x. वर्तमानजांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई)अप्रैल2018 से जून 2019 (15महीने) है। क्षति के विश्लेषण की अवधि में अप्रैल, 2015- मार्च 2016, अप्रैल 2016-मार्च, 2017, अप्रैल 2017मार्च 2018 की अवधि तथा जांच की अवधि शामिल है।
- xi. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालयसे (डीजीसीआईएंडएस)और प्रणाली महानिदेशालय (डीजीएस) से क्षति की अवधि तथा इसके पूर्व की तीन साल की अवधि के लिए लेन-देनवार आयात संबंधी आंकड़े लिए गए थे। प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा और मूल्य की गणना करने के लिए डीजीसीआईएंडएस और डीजीएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xii. आवेदकों से उस सीमा तक अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक वर्तमान जांच के उद्देश्य से उसे आवश्यक माना गया था।
- xiii. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

- xiv. घरेलू उद्योग ने अपनी सनदी/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् सत्यावित वित्तीय आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और इस नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की आदर्शतम लागत और उसके बनाने अथवा उसके बिक्री करने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) को तय किया गया है जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xv. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 21 मई, 2020 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी उपलब्ध कराया। उसके अलावा एक दूसरी मौखिक सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के ऑटोमोटिव टॉयर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसरण के निर्दिष्ट प्राधिकारी में बदलाव को देखते हुए 16 जुलाई, 2020 को आयोजित की गई थी। उन पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए थे, से अनुरोध किया गया था कि मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध तथा उसके बाद प्रति उत्तर संबंधी अनुरोध को प्रस्तुत करें।
- xvi. जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना का समाधान इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक उसके समर्थन में साक्ष्य है और जिस सीमा तक उसे वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया है।
- xvii. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपूर्ति की गई सूचना की सटीकता के बारे में अपने आप को संतुष्ट किया जो संभव सीमा तक इन जांच परिणामों का आधार होता है और उसने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन उस सीमा तक किया जिस सीमा तक उसे संगत, व्यावहारिक और आवश्यक माना गया।
- xviii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।
- xix. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराई गई या इस जांच में काफी सीमा तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचारों की टिप्पणियों को रिकॉर्ड किया है।
- xx. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इस जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 29 जुलाई, 2020 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उस पर प्राप्त टिप्पणियों, प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियों का समाधान इन जांच परिणामों में किया गया है। घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं।
- xxi. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात् किए गए अधिकांश अनुरोध उनके पूर्व के अनुरोधों का पुनरावृत्ति मात्र है और उनका समाधान पहले ही प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटन विवरण और इन जांच-परिणामों में भी समाधान किया गया है। प्रकटन पश्चात् अन्य अनुरोधों की जांच अतिरिक्त रूप से इन अंतिम जांच परिणामों में उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक उसे संगत माना गया है।

xxii. इनअंतिम जांच परिणामोंमें ***गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई तथा इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार से मांगी गई सूचना का द्योतक है।

xxiii. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए विनिमय दर 70.73=1 यूएस डॉलर के रूप में लिया गया है।

ग. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु का क्षेत्र

10. जांच की शुरुआत के चरण में, पीयूसी की परिभाषा नीचे दिए गए अनुसार दी गई थी:

“वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद “सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रणों का फॉस्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)” (इसके पश्चात विचाराधीन उत्पाद के रूप में भी संदर्भित)। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा है अतः विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जांच में है।

संबद्ध उत्पादों का वर्गीकरण कोड 2809 2010 के अंतर्गत अध्याय शीर्ष 28 के अंतर्गत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।”

ग.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

11. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग ने आयात किए गए उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन किया है।
- ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे की जांच पहले ही प्राधिकारी द्वारा इसके पूर्व के जांच परिणामों में की गई है।
- iii. संबद्ध देश से आयात प्रमुख रूप से तकनीकी ग्रेड के होते हैं और घरेलू उद्योग भी प्राथमिक रूप से तकनीकी ग्रेड के फॉस्फोरिक एसिड के उत्पादन में लगा हुआ है।
- iv. कोरिया के विभिन्न उत्पादकों की वेब साइट यह दर्शाती है कि वे भी 85 प्रतिशत की शुद्धता के साथ फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन करते हैं।
- v. आयात संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयात किए गए उत्पाद की रिसाइकलिंग नहीं की गई है अथवा फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग नहीं किया गया है।
- vi. जब निर्यातकों ने इस बात का विरोध नहीं किया है कि उनके द्वारा उत्पादन किए गए उत्पाद उस उत्पाद से अलग हैं जिसका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया है, इस मुद्दे को आयातक द्वारा उठाया नहीं जा सकता है।

ग. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

12. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. जबकि उपयोग किए गए फॉस्फोरिक एसिड का आयात कोरिया गणराज्य से किया जाता है, घरेलू उद्योग अपेक्षाकृत अधिक शुद्धता वाले फॉस्फोरिक एसिड का उत्पादन करता है और इस प्रकार से ये दोनों समान वस्तु नहीं हैं। जबकि आयातों में 75 प्रतिशत की शुद्धता है, घरेलू उद्योग ने उस संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है जिसमें कम से कम 85 प्रतिशत शुद्धता हो।
- ii. कोरिया गणराज्य तकनीकी ग्रेड के फॉस्फोरिक एसिड अथवा खाद्यान का कोई निर्माता नहीं है।
- iii. कोरिया गणराज्य के मूल के उत्पाद की रिसाइकलिंग अथवा फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। कोरिया गणराज्य जैसे एलजी और सैमसंग में उत्पादक इलैक्ट्रानिक ग्रेड के फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग करते हैं और तब उसके उप उत्पाद का निर्यात भारत को करते हैं जो अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता का होता है।
- iv. औद्योगिक प्रयोक्ता जिन्हें विशुद्ध फॉस्फोरिक एसिड की आवश्यकता होती है, रिसाइकिल किए हुए फॉस्फोरिक एसिड का आयात करते हैं और इसका शुद्धिकरण जॉब वर्कर्स के माध्यम से करवाते हैं।

- v. कोरिया गणराज्य से आपूर्ति की गई वस्तुओं की पैकिंग 330 किलोग्राम के पैक में किया जाता है जो घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग किए गए 50 किलोग्राम की पैकेजिंग की तुलना में सस्ता होता है।
- vi. कोरिया गणराज्य के मूल के उत्पाद का उपयोग बिना ब्रॉड वाले और लघु उद्योगों जैसे उर्वरक, गैर खाद्य, कृषि, चिकना करने वाले पदार्थों, ग्रीज, औद्योगिक फॉस्फेट, अपरिशिष्ट जल आसोधन, शीतलन/वाल टॉवरों आदि में सीमित अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
- vii. आयात किए गए और घरेलू स्तर पर उत्पादन की गई वस्तुओं के बीच भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कच्चे माल का उपयोग, उत्पाद का कार्य एवं उपयोग, विनिर्देश, कीमत निर्धारण और वितरण एवं विपणन के मामले में अंतर होता है।
- viii. घरेलू उद्योग और निर्यातकों का सत्यापन गुणवत्ता, विशेषता और उपयोग का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

13. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मुद्दों के संबंध में किए गए अनुरोधों की जांच और उसका समाधान नीचे दिए गए अनुसार किया गया है:
14. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रणों का फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) है। यह एक स्पष्ट, बिना रंग के, बिना गंध के, न बदलने योग्य, बल्कि चिपचिपा, बहुत अधिक तरल होता है जिसका सामान्य रूप से उपयोग 85 प्रतिशत के जलीय सॉल्युशन के रूप में किया जाता है और वह क्षयकारी हो सकता है यद्यपि पतला किए जाने पर वह बिना विष के होता है।
15. चूंकि यह निर्णायक समीक्षा जांच है अतः विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल और बाद की समीक्षा जांच में होता है। मूल जांच में, विचाराधीन उत्पाद को नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित किया गया था:
“वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात किया गया सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रणों का फास्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर) है।”
16. फास्फोरिक एसिड एक अकार्बनिक रसायन पदार्थ है जिसका उपयोग सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं का उपयोग फार्मास्युटिकल अनुप्रयोगों, पेय पदार्थों, बीज का प्रसंस्करण, गन्ने के रस का निर्मलीकरण और चीनी के परिशोधन में, खाद्य फॉस्फेट निर्माण आदि में भी किया जाता है।
17. इस उत्पाद का वर्गीकरण भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार सीमा प्रशुल्क शीर्ष 2809.20 और क्रम सं. 2809.20 20 के अंतर्गत किया गया है। हालांकि सीमा शुल्क और आईटीसी एचएस वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के क्षेत्र पर माध्यकारी नहीं है।
18. अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा विभिन्न अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसकी जांच और इसका समाधान विस्तार से दिनांक 19 जून, 2019 की पूर्व की निर्णायक समीक्षा अंतिम जांच परिणामों में किया गया था। इस मुद्दे का पहले ही समाधान विगत जांच परिणामों में किया गया है और आयातक ने कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें पूर्व में पहुंचे गए निष्कर्षों को फिर से विचार करने की आवश्यकता पड़े।
19. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पैकिंग की लागत में अंतर के संबंध में दावे की पुष्टि नहीं की गई है और कथित अंतर को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।
20. इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह दावा कि आयात की गई वस्तुओं की गुणवत्ता में घरेलू स्तर पर उत्पादन की गई वस्तुओं की तुलना में अंतर है, की पुष्टि नहीं की गई है और यह हितबद्ध पक्षकार का दावा भी नहीं है कि गुणवत्ता में अंतर के फलस्वरूप इस उत्पाद को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।
21. इस अनुरोध के संबंध में कि जबकि आयातों में 75 प्रतिशत की शुद्धता होती है, घरेलू उद्योग ने उन संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है जिनमें कम से कम 85 प्रतिशत शुद्धता होती है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लेन-देनवार आयात संबंधी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 85 प्रतिशत के विवरण के साथ लेन-देन होता है।

22. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस दावे को सही ठहराने के लिए कोई तर्क अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि रिसाइकिल किए गए फॉस्फोरिक एसिड पर कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगना चाहिए।
23. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं और उन वस्तुओं जिसका आयात संबद्ध देश से किया गया है, में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों वस्तुओं की भौतिक विशेषताएं, निर्माण की प्रक्रिया, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। इन दोनों का तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। उपभोक्ताओं ने इन दोनों वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया है और उपयोग कर रहे हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदकों द्वारा निर्मित उत्पाद इस नियमावली के नियम 2(घ) के संबंध में संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं की समान वस्तु है।
24. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण प्रशुल्क कोड 28092010 के तहत अध्याय शीर्षक 28 के अंतर्गत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

25. आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:
- यह आवेदन मै. गुजरात एलकलीज ऐंड केमिकल्स लिमिटेड तथा मै. ग्रासीम इंडस्ट्रीज लि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों का हिस्सा भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 95 प्रतिशत है।
 - आवेदकों ने भारत में संबद्ध वस्तुओं का न तो आयात किया है और न ही वे संबद्ध वस्तु के निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित हैं।
 - इस देश में संबद्ध वस्तु का एक और उत्पादक अर्थात् मै. पंजाब केमिकल्स ऐंड क्रोप प्रोटेक्शन लिमिटेड है।

घ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

27. इस नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है :

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

28. वर्तमान निर्णायक समीक्षा आवेदन मै. गुजरात एलकलीज ऐंड केमिकल्स लिमिटेड और मै. ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किए गए हैं। आवेदकों के अलावा एक और उत्पादक अर्थात् मै. प्रजाब केमिकल्स ऐंड क्रोप प्रोटेक्शन लिमिटेड है।
29. आवेदकों का सामूहिक रूप से कुल घरेलू उत्पादन का 95 प्रतिशत होता है। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक से संबंधित नहीं हैं और उन्होंने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

30. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

31. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

33. सूचना की गोपनीयता के संबंध में इस नियमावली के नियम 7 में नीचे दिए गए अनुसार प्रावधान है :

“ गोपनीय सूचना : (1) नियम के उपनियमों 6(2), (3) और (7) के उपनियम 12 नियम, (2) के 15 नियम, उपनियम (4) और नियम के उपनियम 17 (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

34. सूचना की गोपनीयता के संबंध में इस तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटन की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया। घरेलू उद्योग के आयातों, कार्य-निष्पादन संबंधी मानदंडों और क्षति के मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदनशील सूचना को कार्यपद्धति के अनुसार गोपनीय रखा गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी सूचना जो सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध है, को गोपनीय के रूप में नहीं माना जा सकता।

35. प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावों पर विचार किया है और उसके बारे में संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता संबंधी दावे की अनुमति दी है। प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार किए गए अनुरोध पर निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई।

च. विविध मुद्दे**च.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध**

36. घरेलू उद्योग द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. वह अवधि जिस तक पाटनरोधी शुल्क लागू रहा है, इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए एक संगत मानदंड नहीं है कि क्या शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता है।

- ii. घरेलू उद्योग के अनुमानों के अनुसार, लघु इकाईयाँ भारत में कुल खपत का केवल लगभग 10 प्रतिशत का उत्पादन करती हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के फलस्वरूप भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होगी और इससे संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- iii. शुल्क का बेंच मार्क रूप नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे दुरुपयोग की संभावना उत्पन्न होती है जहां निर्यातिक/आयातक कृत्रिम रूप से पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए अपनी कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

37. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. 12 वर्षों की अवधि के बाद भी, घरेलू उद्योग पाटन और क्षति के बारे में शिकायत कर रहा है।
- ii. पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप, फॉस्फेट साल्ट उद्योग जो लघु क्षेत्र का एक उद्योग है, के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है।
- iii. पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा उत्पाद की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए एक उपकरण के रूप में तब भी कार्य किया है जब कोई क्षति नहीं हुई है। इस प्रकार से शुल्क का बेंच मार्क रूप लगाया जाना चाहिए।

च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

38. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का उस अवधि जिसके दौरान शुल्क लागू रहा है, के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस प्रकार की अवधि इस तथ्य के बारे में निर्णय करने के लिए संगत मानदंड नहीं है कि क्या शुल्क को जारी रखने की कोई आवश्यकता है। प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे उस स्थिति में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करें जहां इस बात की संभावना हो कि शुल्क के निरसन के फलस्वरूप पाटन और क्षति जारी रह सकती है अथवा फिर से हो सकती है।
39. डाउनस्ट्रीम उद्योग के उत्पादन की लागत में वृद्धि की संभावना के आरोप के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क कुछ समय से इस उत्पाद पर लागू रहा है और उसके संभावित दुष्प्रभावों के बारे में कोई सूचना और साक्ष्य नहीं है। इस उत्पाद के उपभोक्ताओं ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और न ही पाटनरोधी शुल्क के दुष्प्रभावों को दर्शाने के लिए कोई सत्यापन योग्य आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। जबकि यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी उपायों के लगाए जाने से कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से किसी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगता है और इस कारण से इसका उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन तथा पाटन मार्जिन का निर्धारण

40. इस अधिनियम की धारा 9क 1(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य यह है कि :

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

ख. परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

बशर्ते कि उत्पत्ति के देश को छोड़कर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां उस वस्तु को निर्यात किए जाने वाले देश के माध्यम से केवल लदान किया गया है अथवा इस प्रकार की वस्तु का उत्पादन निर्यात किए जाने वाले देश में नहीं किया गया है अथवा निर्यात किए जाने वाले देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पत्ति के देश में इसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

41. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:

- i. संबद्ध देश से वर्ष 2008 से पाटन का इतिहास है।
- ii. संबद्ध देश के लिए परिकलित की गई पाटन मार्जिन सकारात्मक और बहुत अधिक है।
- iii. किसी भी निर्यातकों ने पाटन के तथ्य से इंकार नहीं किया है।
- iv. संबद्ध देश से निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा भाग न लिए जाने के तथ्य से प्रतिकूल अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
- v. कोरिया गणराज्य के घरेलू बाजार में संबंधित उत्पाद की कीमत का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए थे। प्रकाशित स्रोतों से कीमत का कोई साक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किया गया था।
- vi. चूंकि संबद्ध देश में घरेलू बिक्री कीमत अथवा उत्पादन की लागत अथवा संबद्ध देश से निर्यातों कीमत उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए, आवेदकों ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च को जोड़ने के साथ भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर लागत तय की है।
- vii. आवेदकों ने अपने आवेदन में डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार आयात की कीमत के आधार पर निर्यात की कीमत का अनुमान लगाया है।
- viii. आवेदकों ने समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पोर्ट संबंधी खर्च और अंतरदेशीय भाड़े के लिए समायोजनों का दावा किया है।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

43. प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच की शुरुआत के नोटिस का उत्तर देने और संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी है। प्राधिकारी ने नई दिल्ली में कोरिया गणराज्य के दूतावास से यह भी अनुरोध किया कि वे संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए कोरिया गणराज्य में उत्पादकों/निर्यातकों को सलाह दें। यह भी नोट किया जाता है कि कोरिया गणराज्य से उत्पादक/निर्यातकों द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

छ.3.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण**कोरिया गणराज्य के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य**

44. संबद्ध देश के किसी भी उत्पादकों/निर्यातकों ने इस जांच में भाग नहीं लिया है, तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस तरह से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है:

छ.3.2 निर्यात कीमत का निर्धारण**कोरिया गणराज्य के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

45. संबद्ध देश के किसी भी उत्पादकों/निर्यातकों ने इस जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार, निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इसके अलावा, कीमत समायोजन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़े, बैंक शुल्क, पोर्ट संबंधी खर्च और कमीशन के आधार पर किया गया है।

छ.3.3 पाटन मार्जिन

46. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, जिसका निर्धारण उपर्युक्त के अनुसार किया गया है, के आधार पर, कोरिया गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध कराया गया है:

सामान्य मूल्य सीएनवी (अम.डा.मी.टन)	निर्यात कीमत (अम.डा.मी.टन)	पाटन मार्जिन (अम.डा.मी.टन)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज
***	***	***	***	20-30%

47. यह नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमाओं से अधिक है और यह अत्यधिक है।

ज. क्षति आंकलन और कारणात्मक संबंध**ज.1 घरेलू उद्योग का अनुरोध**

48. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:
- पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हुआ है।
 - पाटन मार्जिन इस पूरी अवधि के दौरान सकारात्मक और बहुत अधिक था।
 - पाटन का इतिहास है क्योंकि प्राधिकारी ने पूर्व की जांचों में प्रत्येक जांच में बहुत अधिक पाटन मार्जिन पाया है।
 - निर्यातकों ने विगत में पाटन को कभी भी गलत साबित नहीं किया है।
 - पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद, आयातों की मात्रा में स्वतंत्र रूप में और उत्पादन और खपत की तुलना में स्वतंत्र रूप में वृद्धि हुई है।
 - आयातों की मात्रा जांच की अवधि में सबसे अधिक है।
 - उत्पादों और खपत की तुलना में आयातों की मात्रा भी जांच की अवधि में सबसे अधिक है।
 - आयातों की मात्रा में भारत में मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक तीव्र दर से वृद्धि हुई है।
 - आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए विवश हो गया है और उत्पादन की लागत के अनुरूप इसकी कीमतों में वृद्धि करने से इसे रोक दिया है।

- x. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- xi. शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, इन आयातों के कारण संभवतः घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक दबाव पड़ेगा।
- xii. ये आयात भारतीय बाजारों में क्षति की पूरी अवधि के दौरान उन कीमतों पर हुई है जो क्षति रहित कीमत से कम है।
- xiii. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ में गिरावट आई है।
- xiv. भारत संबद्ध देश में निर्यातकों के लिए सबसे बड़ा बाजार है जो संबद्ध देश से कुल निर्यातों का 28 प्रतिशत है।
- xv. भारतीय बाजार की कीमत के आकर्षक होने के कारण, अन्य देशों को किए जा रहे अपेक्षाकृत कम कीमत र निर्यातों को भी संभवतः भारत की ओर भेजा जा सकता है।
- xvi. शुल्कों के नहीं रहने पर, इन आयातों के कारण संभवतः घरेलू उद्योग को घाटा उठाकर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ेगा।
- xvii. घरेलू उद्योग को अन्य देशों से आयातों के कारण क्षति नहीं हो रही है क्योंकि उनकी कीमत काफी हद तक अधिक है।

ज.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

49. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति, संभावना और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किया गया है:
- i. घरेलू उद्योग को क्षति अन्य देशों जैसे ताइवान से तकनीकी ग्रेड के पाटन के कारण हुई, घरेलू उद्योग ने ताइवान से आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए आवेदन किया लेकिन कोई भी शुल्क नहीं लगाया गया था।
 - ii. घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा है। माल सूची और क्षमता के उपयोग की जांच किए जाने की आवश्यकता है।
 - iii. चीन जन.गण से आयातों के विरुद्ध कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है।
 - iv. जबकि अधिकांश अन्य देशों पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगता है, कोरिया गणराज्य से आयातों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।
 - v. घरेलू उद्योग अतिरिक्त शुल्कों जैसे हैंडलिंग शुल्क, पैकिंग शुल्क, धुलाई शुल्क, जीएसटी, एजेंट का कमीशन, वेयर हाउस शुल्क आदि का भुगतान कर रहा है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

50. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों को नोट किया है, प्राधिकारी द्वारा क्षति संबंधी विश्लेषण का समाधान नीचे दिए गए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न अनुरोधों का करता है।
51. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 के निर्धारण में यह प्रावधान है कि 11 "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी।
52. इस नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 6,7,8,9,10,11,16,18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा के मामले में लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन यह दर्शाता हो कि इसे क्षति की वर्तमान अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है तब प्राधिकारी इस तथ्य का निर्धारण करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त किए जाने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति संभवतः फिर से होगी।

53. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो, की जांच की है। यह जांच की गई है कि क्या स्वतंत्र रूप में अथवा उत्पादन या खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई है। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में विचार करने में, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से काफी हद तक हुई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, उत्पादन क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, भंडार, लाभप्रदता, निबल बिक्री प्राप्ति, पाटन का आकार एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सूचकांकों पर इस नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा इसके बाद किए गए क्षति संबंधी विश्लेषण वास्तव में इन पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का समाधान करता है।

झ. मांग/स्पष्ट खपत का आंकलन

54. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में भारत में संबंधित उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को वर्तमान जांच के उद्देश्य से परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100.0	98.1	97.7	127.7	107.0
अन्य उत्पादक की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100.0	137.6	128.1	185.1	148.1
संबद्ध देश से आयात	मी.टन	4,235	5,249	3,054	8,069	6,455
	सूचीबद्ध	100.0	123.9	72.1	190.5	152.4
अन्य आयात	मी.टन	27,650	35,051	55,482	52,872	42,298
	सूचीबद्ध	100.0	126.8	200.7	191.2	153.0
मांग	मी.टन	85,309	93,409	1,11,267	1,30,165	1,04,131
	सूचीबद्ध	100.0	109.5	130.4	152.6	122.1

55. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मामूली गिरावट के साथ क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि समग्र मांग ने वृद्धि दर्शाई है।

II. पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

56. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे हस तथ्य पर विचार करें कि क्या या तो स्वतंत्र रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए गए लेन-देनवार आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात संबंधी मात्राओं और क्षति की जांच की अवधि के दौरान पाटित आयातों का हिस्सा नीचे दिया गया है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देश से आयात	मी.टन	4,235	5,249	3,054	8,069	6,455
अन्य आयात	मी.टन	27,650	35,051	55,482	52,872	42,298
कुल	मी.टन	31,885	40,300	58,536	60,941	48,753
निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयात						
घरेलू उत्पादन	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100.0	125.2	74.9	148.1	148.1
खपत	%	4.96	5.62	2.74	6.20	6.20
	सूचीबद्ध	100.0	113.2	55.3	124.9	124.9
कुल आयात	%	13.28	13.02	5.22	13.24	13.24
	सूचीबद्ध	100.0	98.0	39.3	99.7	99.7

57. यह देखा गया है कि:

- लागू शुल्कों के बावजूद, संबद्ध देश से आयातों में क्षति की अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।
- आयातों में भी क्षति की अवधि की तुलना में उत्पादन और खपत के संबंध में काफी हद तक वृद्धि हुई है।

III. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

58. इस नियमावली के अनुबंध II (ii) में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमतसे तुलना किए जाने पर का पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक कीमतों पर दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रहेगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक सीमा तक हुई होती। इस संबंध में, संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत और सबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग की निबल बिक्री प्राप्ति के बीच तुलना की गई है।

i. कीमत में कटौती

59. कीमत में कटौती का निर्धारण करने के लिए, उत्पाद की पहुंच मूल्य (बिना पाटनरोधी शुल्क के) और व्यापार के उसी स्तर पर सभी छूट और करों के निबल सहित घरेलू उद्योग की औसत बिक्री के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर किया गया था।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	44,946	46,376	39,316	40,627
कीमत में कटौती	रु./मी.टन	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	रेंज	30-40	30-40	40-50	40-50

60. यह देखा गया है कि पहुंच कीमत बिक्री कीमत से कम रही है और जांच की अवधि सहित जांच की अवधि की पूरी अवधि के दौरान कीमत में कटौती सकारात्मक रही।

ii. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

61. इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाएगी जो अन्य प्रकार से हुई होती, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि की तुलना में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों के लिए दी गई सूचना की तुलना अपेक्षित प्रभाव को देखने के लिए पहुंच मूल्य से की गई है।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु./मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	93	96	109
बिक्री कीमत	रु./मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	99	94	94
पहुंच कीमत	रु./मी.टन	44,946	46,376	39,316	40,627
	सूचीबद्ध	100	103	87	90

यह देखा गया है कि जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, बिक्री कीमत और पहुंच कीमत में गिरावट आई है। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी और ह्रासकारी प्रभाव पड़ा है।

iii. कम कीमत पर बिक्री

62. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को ई कम कीमत पर बिक्री के कारण हुई क्षति की जांच की है। इस उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के लिए औसत एनआईपी के आधार पर निर्धारित एनआईपी की तुलना आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है जिसे डीजीसीआईएंडएस के आयात संबंधी आंकड़ों से लिया गया है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
गैर-रहित कीमत	रु./मी.टन	***
आयात की पहुंच कीमत	रु./मी.टन	40,627
कम कीमत पर बिक्री	रु./मी.टन	***
	%	***
	रेंज	30-40

63. यह देखा गया है कि आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की एनआईपी के बहुत नीचे थी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री के कारण नुकसान हुआ है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

64. इस नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार के उत्पादों का घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों का घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, इस नियमावली में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा

65. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता का उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	169	166
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	98	95	127	107
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	98	95	75	64
घरेलू बिक्री	मी.टन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	98	98	128	107

66. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता में बिलायत में ग्रासीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा एक नए प्लांट की स्थापना के कारण जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन और बिक्री में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, घरेलू उद्योग की क्षमता के उपयोग में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है।

ii. मांग में बाजार का हिस्सा

67. कथित पाटित आयातों और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देश से आयात	%	4.96	5.62	2.74	6.20	6.20
	सूचीबद्ध	100.0	113.2	55.3	124.9	124.9
अन्य आयात	%	32.41	37.52	49.86	40.62	40.62
	सूचीबद्ध	100.0	115.8	153.8	125.3	125.3
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100.0	89.6	74.9	83.7	83.7
अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100.0	125.7	98.2	121.3	121.3

68. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2017-18 के दौरान गिरावट आई है लेकिन उसके बाद जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह घरेलू उद्योग की क्षमता में वृद्धि के कारण हुई है। हालांकि घरेलू उद्योग देश में पर्याप्त मांग होने के बावजूद क्षमता में वृद्धि के अनुरूप इसके बाजार हिस्से को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाया है। साथ ही साथ आयातों के बाजार हिस्से में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

iii. मालसूची

69. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
आरंभिक मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी.टन	***	***	***	***
औसत माल सूची	मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100.0	145.9	113.2	63.3

70. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की औसत मालसूची में 2016-17 से गिरावट आती रही है।

iv. लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ

71. घरेलू उद्योग की क्षति की अवधि के दौरान लाभ, निवेश पर लाभ और नकद लाभ नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री की लागत	रु./मीटन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	93	96	109	109
बिक्री की कीमत	रु./मीटन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	99	94	94	94
लाभ/(हानि)	रु./मीटन	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	117	90	47	47
लाभ/(हानि)	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	115	87	60	48
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	143	95	99	80
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	88	62	18	18

72. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ और नकद लाभ में क्षति की अवधि के दौरान बहुत हद तक गिरावट आई है। इसके अलावा लगाई गई पूंजी पर में क्षति की अवधि के दौरान तेजी से कमी आई है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने के दौरान भी आदर्शतम स्तर से नीचे रही है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

73. प्राधिकारी ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में सूचना की जांच नीचे दिए गए अनुसार की है:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	298	293	277	321	321
	सूचीबद्ध	100	98	93	108	108
प्रतिदिन उत्पादकता	मी.टन/प्रतिदिन	146	142	138	147	147
	सूचीबद्ध	100	98	95	101	101
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन/संख्या	176	175	180	168	207
	सूचीबद्ध	100	99	102	95	118
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	112	127	269	217

74. यह देखा गया है कि कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जिसका फलस्वरूप कुल मजदूरी में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की उत्पादकता में भी इस अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

vi. वृद्धि

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
क्षमता	%	0%	0%	31%
उत्पादन	%	-2%	-3%	7%
घरेलू बिक्री	%	-2%	0%	5%
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	%	17%	-23%	-47%
नकद लाभ	%	43%	-34%	-16%
लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	-11%	-29%	-72%

75. यह देखा गया है कि जबकि घरेलू उद्योग की क्षमता में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि देखी गई, उत्पादन और बिक्री में 2017-18 तक गिरावट और उसके बाद क्षमता में वृद्धि के साथ जांच की अवधि के दौरान मामूली वृद्धि दर्शाई। जहां तक घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानदंडों का प्रश्न है, जबकि घरेलू उद्योग ने 2016-17 में वृद्धि दर्शाई, उसके बाद इसका कार्य-निष्पादन प्रतिकूल हो गया है।

vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

76. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट आई है क्योंकि आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है और इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ा। घरेलू उद्योग को लगाई गई अपनी पूंजी पर कम लाभ प्राप्त हुआ।

viii. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

77. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग की कीमतों, संबद्ध देश से आयातों और अन्य आयातों के रुझानों को नीचे दिए गए अनुसार नोट करते हैं:

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	रु./मी.टन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	99	94	94
संबद्ध देश से आयात	रु./मी.टन	44,946	46,376	39,316	40,627
	सूचीबद्ध	100	103	87	90
अन्य आयात	रु./मी.टन	59,104	59,090	51,274	63,587
	सूचीबद्ध	100	100	87	108

78. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयातों और अन्य आयातों की कीमत 2017-18 तक एक दूसरे के पीछे बड़ी है। हालांकि जांच की अवधि के दौरान, जबकि अन्य आयातों कीमत में 24 प्रतिशत तक वृद्धि हुई, संबद्ध देश से आयातों की कीमत में केवल 3 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। बाद में इसके फलस्वरूप संबद्ध देश से आयातों की मांग में वृद्धि हुई जिसके द्वारा घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अन्य आयातों की कीमत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में भी सक्षम नहीं रहा है, यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

ix. पाटन का आकार

79. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं को भारत में पाटित किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक तथा बहुत अधिक है।

ट. क्षति के मार्जिन का आकार

80. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। एनआईपी पर विचार क्षति की मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए किया गया है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। वही बर्ताव यूटिलिटी के साथ किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान उत्पादन की क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्च उत्पादन की लागत में प्रभावित नहीं किया गया था। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात् औसत निबल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उच्च लाभ (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित और अपनाए जा रहे गैर-क्षतिकारक कीमत को तय करने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में दी गई थी।
81. पहुंच कीमत और गैर-क्षतिकारक कीमत जिसका निर्धारण उपर्युक्त के अनुसार किया गया है, के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति संबंधी मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है:

गैर-क्षतिकारक कीमत (अम.डा./मी.टन)	पहुंच कीमत (अम.डा./मी.टन)	क्षति मार्जिन (अम.डा./मी.टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज
***	574	***	***	30-40%

क्षति का समग्र आंकलन

82. घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन और संबद्ध देश से आयातों की जांच यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद, संबद्ध देश से आयात स्वतंत्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई। इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है। इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है क्योंकि एक नए संयंत्र की स्थापना ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा की गई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई है लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लागत, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर लाभ के मामले में बहुत अधिक सीमा तक गिरावट आई है। जबकि घरेलू उद्योग के मात्रा संबंधी मानदंडों ने जांच की अवधि के दौरान मामूली वृद्धि दर्शाई है, लाभप्रदता संबंधी मानदंडों में वृद्धि नकारात्मक रही है। जबकि अन्य देशों से आयातों में वृद्धि हुई, संबद्ध देश से आयातों की कीमत में गिरावट आई। पाटन मार्जिन सकारात्मक और बहुत अधिक है।

ठ. पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

83. प्राधिकारी यह टिप्पणी करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्ष जांच है अतः इस जांच का केन्द्र यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है यद्यपि कोई वर्तमान क्षति नहीं है, लगातार पाटन और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करना है। इसके लिए इस तथ्य पर विचार करना भी अपेक्षित है कि क्या लगाए गए शुल्क से क्षतिकारक पाटन को समाप्त करने का अभीष्ट उद्देश्य पूरा हो रहा है।
84. प्राधिकारी के ध्यान में लाए गए सभी कारकों की जांच इस तथ्य का निर्धारण करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। प्राधिकारी ने पाटन अथवा क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार विभिन्न सूचना पर विचार किया है।

85. इस प्रकार की संभावना का विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस नियमावली के अनुबंध-II के उपबंध (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जिस पर विचार किया जाना अपेक्षित है अर्थात्

- i. भारत में बहुत अधिक हद तक बढ़े हुए आयातों की संभावना को दर्शाते हुए पाटित आयातों की वृद्धि का अत्यधिक दर;
- ii. पर्याप्त रूप से मुक्त रूप से विक्री योग्य अथवा निर्यातक की आसन्न, अत्यधिक वृद्धि जो किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार करते हुए भारतीय बाजारों को बहुत अधिक सीमा तक बहुत बढ़े हुए पाटित आयातों की संभावना को दर्शाता हो।
- iii. क्या ये आयात उन कीमतों पर हो रहे हैं जिनका बहुत अधिक अधिक न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव घरेलू कीमतों पर पड़ेगा और जिसके कारण आगे आयातों के लिए मांग में वृद्धि होने की संभावना है और
- iv. जांच की जा रही इस वस्तु की मालसूची।

i. सतत पाटन

86. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये निर्यातक भारतीय बाजार में संबद्ध देश से आयातों को पाटित करना जारी रखे हुए हैं। पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, निर्यातक संभवतः पाटन जारी रखेंगे।

ii. आयात की वर्तमान मात्रा

87. यह देखा गया है कि आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद वृद्धि हुई है। यह तथ्य कि आयातों में शुल्कों के लागू रहने के बावजूद वृद्धि हुई है, यह दर्शाता है कि आयातों के कारण संभवतः शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में और अधिक वृद्धि होगी। ऐसा प्राथमिक रूप से इस कारण से होता है कि आयात की कीमत घरेलू उद्योग द्वारा बेची गई वस्तुओं की कीमत और अन्य आयातों की कीमत की तुलना में बहुत अधिक सीमा तक कम है। इसके कारण संबद्ध देश से सस्ते आयातों की मांग में वृद्धि होगी।

विवरण	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देश से आयात	MT	4,235	5,249	3,054	8,069	6,455

iii. आयात उन कीमतों पर हो रहा है जिनका संभवतः ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा

88. कीमत में कटौती, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, पाटित आयातों का बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध देश से आयात उन कीमतों पर हो रहे हैं जो घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से बहुत कम है। इस कारण से, शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, इन आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
विक्री की लागत	रु./मी.टन	***
विक्री कीमत	रु./मी.टन	***
पहुंच मूल्य	रु./मी.टन	40,627

iv. निर्यातकों के लिए एक बड़े बाजार के रूप में भारत

89. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत का संबद्ध देश से कुल आयातों का एक चौथाई से अधिक है और यह संबद्ध देश में निर्यातकों के लिए एकमात्र सबसे बड़ा बाजार है। यह दर्शाता है कि पाटनरोधी शुल्क के लागू रहने के बावजूद, भारत संबद्ध देश में इन निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है और वे अन्य निर्यात बाजारों की ओर नहीं गए हैं। इस प्रकार से शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, भारत के संबद्ध देश के निर्यातकों के लिए एक लक्ष्य बाजार रहने की संभावना है।

v. भारतीय बाजार को संबद्ध वस्तुओं के निर्यात की संभावना

90. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य यह दर्शाता है कि भारत इन निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार है और शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, 15,288 मी.टन की अतिरिक्त मात्रा को आगे भारतीय बाजार की ओर परिवर्तित किया जा सकता है। इससे भारत को संबद्ध देश से कुल आयात 23,415 मी.टन तक आ जाएगा। संबद्ध देश से वैश्विक निर्यात का लगभग 23 प्रतिशत इस दर पर था जो 2018 में भारत में निर्यातित दर से कम था।

विवरण	इकाई	जांच की अवधि
कुल निर्यात	मी.टन	28,503
भारत को निर्यात	मी.टन	8,127
अन्य देशों को कम कीमत पर निर्यात	मी.टन	15,288
भारत को कुल संभावित निर्यात	मी.टन	23,415
कुल निर्यात का हिस्सा	%	82%

ड. कारणात्मक संबंध और उत्तरदायित्व न ठहराने का विश्लेषण

91. इस नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों जो एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, को छोड़कर किसी ज्ञात कारकों की जांच करें ताकि इन अन्य कारकों के द्वारा हुई क्षति का कारण पाटित आयातों को नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस मामले में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई मात्रा और कीमतों, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और निर्यातकारी निष्पादन तथा घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल है। यहां नीचे इस बात की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान कर सकता था।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

92. यह देखा गया है कि अन्य देशों जैसे चीन जन.गण, इजरायल, मेक्सिको, ताइवान और वियतनाम से बहुत अधिक मात्रा में आयात हुए हैं। हालांकि इन आयातों की कीमत संबद्ध देश से आयातों की कीमत की तुलना में बहुत अधिक सीमा तक ज्यादा है।

निम्नलिखित देशों से आयात	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
संबद्ध देश	रु./मी.टन	43,111	45,283	39,316	40,627
चीन जन.गण	रु./मी.टन	56,668	53,574	54,254	59,136
इजरायल	रु./मी.टन	-	63,861	-	63,079
मेक्सिको	रु./मी.टन	67,365	60,607	52,558	60,873
ताइवान	रु./मी.टन	44,934	45,766	43,066	51,863
वियतनाम	रु./मी.टन	65,512	62,533	49,414	63,366

93. यह देखा गया है कि इन देशों से आयातों की कीमत संबद्ध देश से आयातों की कीमत की तुलना में बहुत अधिक है। उपर्युक्त देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात कुल आयात का केवल 1,162 मी.टन अथवा 2 प्रतिशत है। इस कारण से तीसरे देशों के आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ख. मांग में संकुचन

94. यह देखा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में पिछले वर्ष की मांग से तुलना किए जाने पर जांच की अवधि में केवल मामूली गिरावट के साथ क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। समग्रता के आधार पर, क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में 22 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस कारण से, मांग में संकुचन को घरेलू उद्योग को क्षति के एक कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

95. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस कारण से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती थी।

घ. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धति

96. इस जांच ने यह दर्शाया है कि प्रतिस्पर्धा की शर्तें अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां घरेलू उद्योग को क्षति का दावा करने के लिए जिम्मेदार है।

ड. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

97. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन का एक लघु हिस्से का निर्यात किया है। हालांकि इसमें ऊपर में जांच की गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू उद्योग का इसके घरेलू बाजार के संबंध में प्रदर्शन से संबंधित है। इस प्रकार से उठाई गई क्षति का कारण घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन को नहीं बतलाया जा सकता है।

च. उत्पादकता

98. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान सुधार हुआ है और प्रकार से घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट को उत्पादकता में गिरावट का कारण नहीं माना जा सकता है।

ट.1 क्षति और कारणात्मक संबंधी निष्कर्ष

99. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में संबद्ध आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। इस उत्पाद के आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अलावा, जबकि उत्पादन की लागत में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई थी, बिक्री की कीमत में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि से कम है जबकि संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत लगातार बिक्री की कीमत और बिक्री की लागत से कम है। इस प्रकार से इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और कीमतों में वृद्धि रुक रही है जो अन्य प्रकार से पाटित आयातों के न होने पर हुई होती।

100. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की मात्रा और कीमत संबंधी प्रभाव दोनों के कारण क्षति उठानी पड़ी है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है। यह भी नोट किया जाता है कि नियोजित पूंजी पर लाभ, लाभ और नकद लाभ पर जांच की अवधि में प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है।

इस प्रकार से लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ जैसे अधिकांश मानदंडों के संबंध में वृद्धि घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है।

101. जबकि इस नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है फिर भी घरेलू उद्योग के क्षति की अवधि के दौरान प्रदर्शन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध किया गया है:

- क. भारत में संबद्ध वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में और लगातार पाटन हुआ है।
- ख. सस्ती कीमतों पर आयातों की उपलब्धता के कारण संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है।
- ग. आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में दोनों दृष्टि से वृद्धि हुई है।
- घ. अन्य आयातों की लागत पर बाजार हिस्से के संबंध में आयात में वृद्धि हुई है।
- ङ. जबकि घरेलू उद्योग अपने बाजार हिस्से में वृद्धि करने में सक्षम रहा है, यह क्षमता में वृद्धि के अनुरूप अपनी बिक्री को नहीं बढ़ा पाया है।
- च. संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और इस प्रकार से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है।
- छ. इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।
- ज. यदि शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तब इन आयातों का संभवतः घरेलू उद्योग की कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा।
- झ. इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को लाभ, नकद लाभ और निवेशों पर लाभ में बहुत अधिक गिरावट देखनी पड़ी है।

ढ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

घरेलू उद्योग का अनुरोध

102. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में अपने अनुरोधों को दोहराया है। विशेष रूप से घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चूंकि संबद्ध देश में निर्यातकों ने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है अतः उपलब्ध प्रतिकूल तथ्यों को लागू किया जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण घरेलू उद्योग के उत्पादन की सबसे अधिक लागत के आधार पर किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने एनआईपी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति को स्पष्ट किए जाने की मांग की है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

103. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

104. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियों/अनुरोध दोहराया गया है और उसका समाधान इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में पहले ही उपयुक्त रूप से और समुचित रूप से जांच की गई है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात् की गई गई अन्य टिप्पणियां/अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई टिप्पणियां/अनुरोध की जांच नीचे दिए गए अनुसार की गई है।
105. जहां तक कोरिया गणराज्य के निर्यातकों/आयातकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में भाग नहीं लिया है। तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण इस संबंध में प्राधिकारी की कार्य-पद्धति के अनुसार इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है।

106. एन आई पी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति के संबंध में, यह नोट किया जाए कि प्राधिकारी ने अनुबंध III में निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार और प्राधिकारी की कार्य-पद्धति के अनुसार एन आई पी की गणना की है। एन आई पी की गणना घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए कच्चे माल, यूटिलिटी और क्षमता से संबंधित वास्तविक आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

ण. पाटन और और क्षति की संभावना के बारे में निष्कर्ष

107. रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं का सतत् पाटन हुआ है। शुल्कों के लागू रहने के बावजूद, आयातों की मात्रा में स्वतंत्र रूप में और उत्पादन तथा खपत की तुलना में वृद्धि हुई है। कोरिया गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी है तथा संबद्ध वस्तुओं का आयात उन कीमतों पर किया जा रहा है जो घरेलू उद्योग की कीमत पर दबाव डाल रहे हैं और कम हो रहा है तथा नीचे गैर-क्षतिकारक कीमत है। इसके परिणामस्वरूप, जबकि घरेलू उद्योग की मात्रा संबंधी मानदंडों में सुधार दर्शाया है, घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ के मामले में गिरावट आई है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि ये आयात घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों से कम कीमत पर होना जारी है जो यह दर्शाता है कि शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, इन आयातों का संभवतः घरेलू उद्योग की कीमतों पर आगे ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत संबद्ध देश में इन उत्पादकों के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और यह कीमत आकर्षक बाजार भी है। इस प्रकार से, शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में यह संभवतः संबद्ध देश में इन उत्पादकों के लिए लक्ष्य बाजार है। इस कारण से ये सभी मानदंड यह संकेत देते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध वस्तुओं का पाटन संभवतः जारी रहेगा और उसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होगी।

त. भारतीय उद्योग का हित

108. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी का उद्देश्य आम तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से किसी भी रूप में संबद्ध देश/प्रक्षेत्र से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
109. यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्माण किए गए उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और परिणाम के तौर पर इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क की लेवी उस राशि तक प्रतिबंधित किया जाए जो घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक हो तब भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क से कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन संबंधी कार्य-पद्धतियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएगा, घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

थ. निष्कर्ष

110. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों के संबंध में तथा उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किए गए अनुसार प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि:

क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का लगातार पाटन हुआ है और ये आयात संभवतः भारतीय बाजार में शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में पाटित कीमतों पर होता रहेगा।

ख. घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण लगातार क्षति उठानी पड़ी है।

- ग. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना लागू पाटनरोधी शुल्क के इस चरण में समाप्त होने दिए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को दर्शाता है।
- घ. इस बात का संकेत देने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि इस चरण में पाटनरोधी शुल्क के निरसन के फलस्वरूप पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी।

द. सिफारिशें

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत की गई थी और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर दिया गया था।
112. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तब पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध तथा पाटन की संभावना के पहलू के संबंध में सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर शुल्क को जारी रखना अपेक्षित है।
113. इन परिस्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी नीचे दी गई शुल्क तालिका में कालम 7 के अनुसार संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर यथा-संशोधित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को इसके लगाए जाने की तिथि से 5 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश करने के लिए इसे उपयुक्त मानते हैं:

शुल्क तालिका

क्र. सं.	प्रशुल्क का शीर्षक*	वस्तुओं का विवरण	उत्पत्ति का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मुद्रा	इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2809 20 10	सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रों में का फॉस्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई देश	कोई भी	137	यूएस अम.डालर	मी.टन
2	2809 20 10	सभी ग्रेडों और सभी संकेन्द्रों में का फॉस्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक ग्रेड को छोड़कर)	कोरिया गणराज्य को छोड़कर कोई अन्य देश	कोरिया गणराज्य	कोई भी	137	यूएस अम.डालर	मी.टन

114. इस अधिसूचना के उद्देश्य से आयातों की पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार आंकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3, 8 ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।
115. इन जांच परिणामों के कारण केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

विद्युत बिहारी स्वैन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 6th August, 2020

CASE NO. (SSR) 16/2019

Subject: Sunset Review Investigation of Anti-Dumping duty imposed on imports of “Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)” originating in or exported from Korea RP

F. No. 7/28/2019-DGTR.—A. BACKGROUND OF THE CASE

Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “the Rules”) thereof.

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) received a joint application dated 27th November, 2019 from M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Limited and M/s Grasim Industries Limited (hereinafter also referred to as the “Applicants”) requesting initiation of sunset review of anti-dumping duty (ADD) under the Act and the Rules on imports of “Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)”, (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) originating in or exported from Korea RP (hereinafter referred to as “subject country”).
2. The original investigation was initiated on 12th November, 2008 to examine the nature and the extent of dumping and its injurious effect on the domestic industry with respect to Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) originating in or exported from Korea RP. The Authority vide its Preliminary Findings No.14/7/2007-DGAD dated 24th April, 2009 recommended imposition of provisional duty against the dumped imports of the subject goods from the subject country, which was imposed vide Customs Notification No. 74/2009–Customs dated 22nd June, 2009. Thereafter, the Authority, vide its Final Findings No. 14/07/2007-DGAD dated 11th November, 2009, found that the subject goods had been exported from the subject country at dumped prices, causing injury to the domestic industry. Therefore, the Authority recommended imposition of ADD, which were given effect vide Customs Notification No. 140/2009–Customs dated 15th December, 2009 for a period of five years.
3. The Authority initiated a sunset review on 20th June, 2014. Pending the conclusion of the investigation, the duties in force were extended upto 21st June, 2015, vide Notification No. 32/2014–Customs (ADD) dated 23rd July, 2014. The Authority, vide Notification No.15/7/2014-DGAD dated 19th June, 2015, recommended continued imposition of definitive anti-dumping duties against the imports of subject goods from subject country. The findings of the Authority were given effect vide Customs Notification No. 45/2015–Customs (ADD) dated 24th August, 2015 and duties were continued till 23rd August 2020.
4. In terms of Section 9A (5) of the Act, anti-dumping duties imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Further, Rule 23 (1B) of the Rules provides as follows:

“any definitive antidumping duty levied under the Act, shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the designated authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.”

5. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
6. The Applicants filed an application dated 27th November, 2019 requesting initiation of sunset review of anti-dumping duty imposed earlier and seeking continuation of anti-dumping duty against imports of Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) from Korea RP. The request was based on the grounds that the expiry of the measure was likely to result in continuation of dumping of the subject goods and consequent injury to the domestic industry.
7. In view of the duly substantiated application with *prima facie* evidence of likelihood of dumping and injury filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Rules, the Authority initiated the sunset review Investigation vide Notification No. 7/28/2019-DGTR dated 27th December, 2019 to review the need for continued imposition of ADD in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of the said ADD is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

8. The scope of the present review covers all aspects of the Final Findings No. 14/07/2007-DGAD dated 11th November, 2009 and Final Findings Notification 15/7/2014-DGAD dated 19th June, 2015, by which imposition and continuation of anti-dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject country had been recommended respectively.
9. The procedure described herein below has been followed:
 - i. The Authority *vide* Notification No. 7/28/2019-DGTR dated 27th December, 2019 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating sunset review investigation against imports of the subject goods from the subject country.
 - ii. A copy of the public notice was forwarded by the Authority to the Embassy of the subject country in India, known producers and exporters from the subject country, known importers and other interested parties, to inform them of the initiation of the subject investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, and to the Government of the subject country, through its embassy, and to other interested parties who made a request therefor in writing in accordance with Rule 6(3) of the Rules *supra*. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - iv. The Authority forwarded a copy of the public notice initiating sunset review investigation to the known producers / exporters in the subject country, and other interested parties and provided them an opportunity to file response to questionnaire in the form and manner prescribed within time limit as prescribed in the initiation notification or extended time limit, and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(4) of the Rules.
 - v. The Authority forwarded copies of the Notification to the following known producers/exporters:
 - a) Altechkorea Corporation
 - b) Apex Corporation
 - c) All A Trading Corporation
 - d) BR Corporation
 - e) Canko Marketing, Inc.
 - f) DC Chemicals Company Limited
 - g) Entro Corporation
 - h) Metachem Corporation

- i) Miracle Breakers Company Limited
- j) OCI Company Limited
- k) SebitChem Company Limited
- l) Semyoung Tech Company Limited
- vi. The Government of the subject country, through its embassy in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to the Embassy of subject country along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the respective subject country.
- vii. None of the producer/exporter from Korea RP filed a response to the exporter questionnaire.
- viii. The Authority forwarded a copy of the Notification to the following known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a) Albright & Wilson Chemicals Limited
 - b) Berger Auto & Industrial Coatings Limited
 - c) Betzdearborn India Private Limited
 - d) Bharat Electronics Limited
 - e) Bhavita Chemicals Private Limited
 - f) Carborandum Universal Limited
 - g) C.J. Shah & Company
 - h) Excel Industries Limited
 - i) Fertilizers and Chemicals Travancore Limited
 - j) Hind Lever Chemicals Limited
 - k) ICI India Limited
 - l) Jaydip Agencies
 - m) LG Electronic India Private Limited
 - n) Mangalore Chemicals & Fertilizers Limited
 - o) Pharmachem Traders Private Limited
 - p) Reliance Industries Limited
 - q) SudeepPharma Limited
 - r) ToniraPharma Limited
 - s) Torrent Pharmaceuticals Limited
 - t) TosifSilktex
- ix. The following importer/user has filed Questionnaire response in the present investigation:
 - a) Sandeep Organics Private Limited
- x. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April 2018-June 2019 (15 months). The injury analysis period covers April 2015- March 2016, April 2016-March 2017, April 2017- March 2018 and the POI.
- xi. Transaction-wise imports data for the POI and the preceding three years was procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) and Directorate General of Systems (DGS). The Authority has, relied upon data of DGCI&S and DGS for calculating the volume and value of imports of the subject goods in India.

- xii. Further information was sought from the Applicants to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of present investigation.
- xiii. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xiv. The domestic industry has submitted financial data duly certified by their Chartered/Cost Accountant. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xv. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held on 21st May, 2020 through video conferencing. Further, a second oral hearing was held on 16th July, 2020 in view of change in the Designated Authority, in pursuance of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of *Automotive Tyres Manufacturers' Association vs Designated Authority*. The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- xvi. The submissions made by the interested parties, arguments raised and information provided by various interested parties during the course of investigation, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority in these final findings.
- xvii. The Authority, during the course of investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of these final findings to the extent possible and verified the data / documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- xviii. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xx. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 29th July, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The domestic industry has submitted their comments to the disclosure statement.
- xxi. The Authority notes that most of the post-disclosure submissions made by the domestic industry are mere reiteration of their earlier submissions and have already been addressed in the disclosure statement issued by the Authority, and also in these final findings. Other post-disclosure submissions, to the extent considered relevant, have additionally been examined in these final findings.
- xxii. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1= ₹ 70.73.

C. SCOPE OF PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC) AND LIKE ARTICLE

10. At the stage of initiation, the PUC was defined as

“The product under consideration for the purpose of present investigation is “Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)”

(hereinafter also referred to as product under consideration). The present investigation being a Sunset review, the scope of product under consideration is the same as that in the original investigation.

The subject products are classified under Chapter Heading 28 under the code 2809 20 10. The customs classification is indicative only and in no way it is no way binding upon the product scope.”

C.1 Submissions of the domestic industry

11. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of PUC or like article.
 - i. The domestic industry has produced like article to the imported product.
 - ii. The claims raised by other interested parties have already been examined by the Authority in its previous findings.
 - iii. The imports from the subject country are predominantly of technical grade, and the domestic industry is also primarily engaged in the production of technical grade phosphoric acid.
 - iv. The websites of various Korean producers show that they produce phosphoric acid with a purity of 85% as well.
 - v. The import data shows that the product imported from the subject country is not recycled or spent phosphoric acid.
 - vi. When the exporters have not contended that the product produced by them is different from that produced by the domestic industry, the issue cannot be raised by the importer.

C.2 Submissionsof other interested parties

12. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of PUC or like article.
 - i. While spent phosphoric acid is imported from Korea RP, the domestic industry produces phosphoric acid of higher purity, and thus, the two are not like article. While the imports have a purity of 75%, the domestic industry has produced subject goods having a minimum purity of 85%.
 - ii. There is no manufacturer of food or technical grade phosphoric acid in Korea RP.
 - iii. The product originating from Korea RP is recycled / spent phosphoric acid. Producers in Korea RP, such as LG and Samsung, use electronic grade phosphoric acid, and then export the by-product to India, which is of a lower quality.
 - iv. The industrial users which require pure phosphoric acid, import recycled phosphoric acid and get it purified through job workers.
 - v. The goods supplied from Korea RP are packed in 330 kg packs, which is cheaper than the packaging of 50 kg used by the domestic industry.
 - vi. The product originating from Korea RP is used for limited applications in unbranded and small industries such as fertilizers, non-edible, agriculture, lubricants, grease, industrial phosphates, waste-water treatment, cooling / boiling towers, etc.
 - vii. There is a difference between the imported and domestically produced goods, in terms of the physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, use of raw material, function & use of products, specifications, pricing and distribution & marketing.
 - viii. The verification of domestic industry and exporters should be done to ascertain quality, characteristic and use.

C.3 Examination by the Authority

13. The submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to the PUC related issues are examined and addressed hereunder.

14. The PUC in the present investigation is Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade). It is a clear, colourless, odourless, non-volatile, rather viscous, syrupy liquid, commonly used as an aqueous solution of 85% solution can be corrosive, although non-toxic when diluted.
15. This being an SSR investigation, the scope of the PUC remains the same as that in the original and subsequent review investigation. In the original investigation, the PUC was defined as follows:

“The product under consideration in the present investigation is Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade) originating in or exported from Korea RP.”
16. Phosphoric Acid is an inorganic chemical used for the production of sodium phosphate, calcium phosphate, magnesium phosphate, ammonium phosphate, etc. The subject goods are also used in Pharmaceutical applications, beverages, seed processing, sugar juice clarification and sugar refining, food phosphate manufacturing, etc.
17. The product is classified under Customs Tariff heading 2809.20 and at Sl. No. 2809.20 20 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.”
18. With regard to the various submissions by the other interested party, the Authority notes that these had been examined and addressed in detail in the previous SSR Final Findings dated 19th June, 2015. The issue has already been settled in the past findings and the importer has not adduced any fresh evidence that requires reconsideration of the conclusions arrived at earlier.
19. The Authority notes that the claim on difference in packing cost is not substantiated and no evidence has been placed to show the alleged difference.
20. Further, the Authority notes that the claim that there is a difference in the quality of imported goods as compared to domestically produced goods has not been substantiated and it is not even the claim of the interested party that difference in quality lead to non-substitution of the product.
21. Regarding the submission that while imports have a purity of 75%, the domestic industry has produced subject goods having a minimum purity of 85%, the Authority notes that the transaction-wise import data shows that there are transactions with description of 85%.
22. The Authority notes that no reasoning or evidence has been submitted to justify the claim that there should be no anti-dumping on recycled phosphoric acid.
23. On the basis of information on record, the Authority holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority holds that the product manufactured by the Applicants constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.
24. The PUC is classified under the Chapter heading 28, under the tariff code 2809 20 10. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the PUC.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions of the domestic industry

25. The following submissions have been made by the Applicants with regard to the domestic industry and standing:
 - i. The application has been filed by the M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Limited and M/s Grasim Industries Limited. The share of the Applicants accounts for 95% of the total domestic production in India.

- ii. The Applicants have neither imported nor are related to the exporter or importer of the subject goods in India.
- iii. There is one more producer of the subject good in the country, namely, M/s Punjab Chemicals and Crop Protection Limited.

D. 2 Submissions of other interested parties

- 26. No submissions have been made by the other interested parties regarding the scope of domestic industry and standing.

D. 3 Examination by the Authority

- 27. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

- 28. The present SSR application has been filed by M/s Gujarat Alkalies & Chemicals Limited and M/s Grasim Industries Limited. There is one more producer, namely, M/s Punjab Chemicals and Crop Protection Limited apart from the Applicants.
- 29. The Applicants collectively account for 95% of the total domestic production. It is also noted that the Applicants are not related to any exporter or importer of the subject goods and have not imported the PUC. The Authority, therefore, holds that the Applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application meets the requirements of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions of the domestic industry

- 30. No submissions have been made by the domestic industry regarding confidentiality.

E.2 Submissions of other interested parties

- 31. No submissions have been made by the other interested parties regarding confidentiality.

E.3 Examination by the Authority

- 32. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
- 33. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

34. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice. The Authority notes that any information which is available in the public domain cannot be treated as confidential.
35. The Authority has considered the claims of confidentiality made by the Applicants and the opposing interested parties and on being satisfied about the same, the authority has allowed the claim on confidentiality. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

F. Miscellaneous Issues

F.1 Submissions of the domestic industry

36. The following submissions have been made by the domestic industry, in response to the contentions of other interested parties:
- i. The period up to which the ADD has been in force is not a relevant criterion for determining whether there is a need for continuation of duty.
 - ii. According to the estimates of domestic industry, the small-scale units consist of only about 10% of the total consumption in India. The imposition of ADD would lead to fair competition in the Indian market and would help to maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
 - iii. The benchmark form of duty should not be imposed as it creates a possibility of abuse where the exporters/importers may artificially increase their prices to avoid the ADD.

F.2 Submissions of other interested parties

37. The following submissions have been made by the other interested parties:
- i. Even after a period of 12 years, the domestic industry is complaining about dumping and injury.
 - ii. As a result of the ADD, the cost of production of phosphate salts industry, which belongs to the small-scale sector, has increased.
 - iii. The fixed quantum of ADD has worked as a tool for artificially hiking the product price, even when there is no injury. Thus, a benchmark form of duty should be imposed.

F.3 Examination by the Authority

38. With regard to the contention of other interested parties regarding period for which duty has remained in force, the Authority notes that such period is not the relevant criterion for deciding whether there is a need for continuation of duty. The Authority is required to recommend the continuation of ADD where there is likelihood that revocation of duty may lead to continuation or recurrence of dumping or injury.
39. With regard to the allegation of possibility of increase in cost of production of the downstream industry, the Authority notes that the ADD has been in force on the product for quite sometime and there is no information and evidence with regard to possible ill effect of the same. The consumers of the product have not participated in the present investigations, nor have provided any verifiable information to demonstrate ill effects of ADD. While it is recognised that imposition of ADD may affect the price levels of the product in India, however, fair competition in the Indian market is not reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the purpose of ADD is to eliminate injury caused to the domestic industry by unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of the anti-dumping measures does not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING AND DUMPING MARGIN

40. As per section 9A(1)(c) of the Act, the normal value in relation to an article means:

(i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either -*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.1 Submissions of the domestic industry

41. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows:

- i. There is a history of dumping from the subject country since 2008.
- ii. Dumping margin calculated for the subject country is positive and significant.
- iii. None of the exporters have denied the fact of dumping.
- iv. Adverse inference may be drawn from the fact of non-participation by the exporters/producers from the subject country.
- v. Efforts were made to get evidence of price of product concerned in the domestic market of Korea RP. Efforts were also made to get any evidence of price from the published sources.
- vi. Since the domestic selling price or cost of production in the subject country, or price of exports from the subject country are not available. In view of the above, the Applicants have constructed the cost on the basis of cost of production in India with addition of selling, general and administrative expenses.
- vii. Applicants have estimated export price on the basis of import price as per DGCI&S data in its application.
- viii. Applicants have claimed adjustments for ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, and inland freight.

G.2 Submissions of other interested parties

42. No submissions have been made by other interested parties with regard to determination of normal value, export price and dumping margin.

G.3 Examination by the Authority

43. The Authority advised the producers/ exporters in Korea RP to respond to the notice of initiation and provide relevant information. The Authority also requested Embassy of Korea RP in New Delhi to advise the producers/ exporters in Korea RP to provide relevant information. It is noted that no response has been filed by the producer/exporters from Korea RP.

G.3.1 Determination of normal value**Normal Value for all producers/exporters from Korea RP**

44. None of the producers / exporters from the subject country have participated in the investigation. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. The normal value so determined is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.2 Determination of export price**Export price for all producers/exporters from Korea RP**

45. None of the producers / exporters from the subject country have participated in the investigation. Accordingly, the export price has been determined on the basis of facts available as per the DGCIS data. Further, price adjustments have been carried out on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, bank charges, port expenses and commission on the basis of facts available.

G.3.3 Dumping margin

46. Based on normal value and export price determined as above, the dumping margin for producers/exporters from Korea RP has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

Normal Value CNV (US\$/MT)	Export Price (US\$/MT)	Dumping Margin (US\$/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range
***	***	***	***	20-30%

47. It is noted that the dumping margin is more than the *de-minimis* limits prescribed under the Rules, and is significant.

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK**H.1 Submissions of the domestic industry**

48. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:
- There is continued dumping of the subject goods, despite ADD in force.
 - The dumping margin was positive and significant throughout the period.
 - There is a history of dumping, as the Authority has found significant dumping margin in each of the earlier investigations.
 - The exporters have never rebutted dumping in the past.
 - Despite ADD in force, the volume of imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
 - The volume of imports is highest in the POI.
 - The volume of imports in relation to production and consumption are also highest in the POI.
 - The volume of imports has increased at a more rapid rate than the increase in demand in India.
 - The imports have forced the domestic industry to reduce its prices and prevented it from increasing its prices in line with cost of production.
 - Imports are undercutting the prices of the domestic industry.
 - In the event of cessation of duty, the imports are likely to have significant strain on the prices of the domestic industry.
 - The imports have entered into the Indian markets at prices below the NIP throughout the injury period.

- xiii. The profits, cash profits and return on investment of the domestic industry have declined.
- xiv. India is the largest market for the exporters in the subject country, accounting for 28% of total exports from the subject country.
- xv. Owing to the price attractiveness of the Indian market, the lower priced exports being made to other countries are also likely to be diverted to India.
- xvi. In the absence of duties, the imports are likely to force the domestic industry to sell at a loss.
- xvii. The domestic industry is not suffering injury on account of the imports from other countries, as they are priced significantly higher.

H.2 Submissions of other interested parties

49. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury, likelihood and causal link.
- i. The injury to the domestic industry is due to dumping of technical grade from other countries, such as Taiwan. The domestic industry applied for imposition of ADD against imports from Taiwan, but no duties were imposed.
 - ii. The domestic industry is making profits. The inventories and capacity utilization need to be checked.
 - iii. There is no ADD against imports from China PR.
 - iv. While most of the other countries attract a customs duty of 5%, the imports from Korea RP are not chargeable to any duty
 - v. The domestic industry is incurring additional charges such as handling charges, packing charges, transport charges, GST, agent's commission, warehouse charges, etc.

H.3 Examination by the Authority

50. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
51. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "*... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.*"
52. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the Domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the Domestic industry.
53. The Authority has examined current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject country. It has been examined as to whether there is an increase in imports, in absolute terms or in relation to production or consumption. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and other interested parties, and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the parties.

I. Assessment of Demand / Apparent Consumption

54. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product concerned in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualised
Domestic industry's Sales	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100.0	98.1	97.7	127.7	107.0
Other producer's Sales	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100.0	137.6	128.1	185.1	148.1
Imports from Subject Country	MT	4,235	5,249	3,054	8,069	6,455
	Indexed	100.0	123.9	72.1	190.5	152.4
Other imports	MT	27,650	35,051	55,482	52,872	42,298
	Indexed	100.0	126.8	200.7	191.2	153.0
Demand	MT	85,309	93,409	1,11,267	1,30,165	1,04,131
	Indexed	100.0	109.5	130.4	152.6	122.1

55. It is seen that the demand for the subject goods has increased during the injury period with marginal decline in the POI as compared to previous year. However, overall demand has shown an increase.

Volume Effects of Dumped Imports

56. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. The import volumes of the subject goods from subject country and share of the dumped import during the injury investigation period are as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualised
Imports from Subject Country	MT	4,235	5,249	3,054	8,069	6,455
Other imports	MT	27,650	35,051	55,482	52,872	42,298
Total	MT	31,885	40,300	58,536	60,941	48,753
Imports from Subject Country in relation to						
Domestic production	%	***	***	***	***	***
	Indexed	100.0	125.2	74.9	148.1	148.1
Consumption	%	4.96	5.62	2.74	6.20	6.20
	Indexed	100.0	113.2	55.3	124.9	124.9
Total imports	%	13.28	13.02	5.22	13.24	13.24
	Indexed	100.0	98.0	39.3	99.7	99.7

57. It is seen that:

- Despite the duties in force, imports from the subject country have increased over the injury period.

- ii. Imports have also increased significantly in relation to production and consumption over the injury period.

Price Effect of Dumped Imports

58. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed price of imports from the subject country with the net sales realization of domestic industry for the subject goods.

i. Price Undercutting

59. To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product (without anti-dumping duty) and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
Landed price	Rs./MT	44,946	46,376	39,316	40,627
Price undercutting	Rs./MT	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	Range	30-40	30-40	40-50	40-50

60. It is observed that the landed price remained below the selling price and price undercutting remained positive throughout the investigation period, including the POI.

ii. Price Suppression and Depression

61. In order to determine whether the effect of imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the information given by the domestic industry for the changes in the costs and prices over the injury period has been compared with the landed value to see the desired effect.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	93	96	109
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	99	94	94
Landed price	Rs./MT	44,946	46,376	39,316	40,627
	Indexed	100	103	87	90

It is seen that while the cost of sales of the domestic industry increased over the period, selling price and the landed price declined. Despite existing ADD, imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry in the market.

iii. Price Underselling

62. The Authority has examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject country. For this purpose, the NIP, determined based on average NIP for the domestic industry, has been compared with the landed price of imports, as obtained from the DGCI&S import data.

Particulars	Unit	POI
Non-injurious price	Rs./MT	***
Landed price of imports	Rs./MT	40,627
Price underselling	Rs./MT	***
	%	***
	Range	30-40

63. It is seen that the landed price of imports was much below the NIP of the domestic industry. The Authority notes that the domestic industry has suffered price underselling during POI due to dumped imports of the subject goods from the subject country

J. Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

64. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales Volumes

65. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization is as follows:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualised
Capacity	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	169	166
Production	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	98	95	127	107
Capacity utilization	%	***	***	***	***	***
	Indexed	100	98	95	75	64
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	98	98	128	107

66. It is seen that the capacity of the domestic industry has increased in the POI due to the addition of a new plant by Grasim Industries Limited in Vilayat. Consequently, the production and sales have increased over the POI. However, the capacity utilization of the domestic industry has declined over the period.

ii. Market Share in Demand

67. The market shares of alleged dumped imports and domestic industry have been examined as below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualised
Imports from Subject Country	%	4.96	5.62	2.74	6.20	6.20
	Indexed	100.0	113.2	55.3	124.9	124.9
Other imports	%	32.41	37.52	49.86	40.62	40.62
	Indexed	100.0	115.8	153.8	125.3	125.3
Domestic industry	%	***	***	***	***	***
	Indexed	100.0	89.6	74.9	83.7	83.7
Other producer	%	***	***	***	***	***
	Indexed	100.0	125.7	98.2	121.3	121.3

68. It is seen that the market share of the domestic industry has declined during 2017-18 but increased thereafter in the POI. Overall, the market share of the domestic industry has increased during the injury period. The same is on account of the increase in capacity of the domestic industry. However, the domestic industry has not been able to increase its market share in line with the increase in capacity, despite having sufficient demand in the country. At the same time, the market share of imports has increased over the period.

iii. Inventories

69. The inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
	Indexed	100.0	145.9	113.2	63.3

70. It is seen that the average inventories of domestic industry have been declining since 2016-17.

iv. Profits, Cash Profits and Return on Capital Employed

71. Profits, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualised
Cost of sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	93	96	109	109
Selling price	Rs./MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	99	94	94	94

Profit/(loss)	Rs./MT	***	***	***	***	***
	Indexed	100	117	90	47	47
Profit/(loss)	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
	Indexed	100	115	87	60	48
Cash profits	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
	Indexed	100	143	95	99	80
Return on capital employed	%	***	***	***	***	***
	Indexed	100	88	62	18	18

72. It is seen that profits and cash profits earned by the domestic industry have declined significantly over the injury period. Further, return on capital employed has reduced sharply over the injury period. Thus, the profitability of the domestic industry has remained sub-optimal even during the continuation of ADD.

v. Employment, Wages and Productivity

73. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualised
No. of employees	Nos	298	293	277	321	321
	Indexed	100	98	93	108	108
Productivity per day	MT/Day	146	142	138	147	147
	Indexed	100	98	95	101	101
Productivity per employee	MT/Nos	176	175	180	168	207
	Indexed	100	99	102	95	118
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
	Indexed	100	112	127	269	217

74. It is seen that the number of employees has increased over the injury period, leading to an increase in total wages. Further, the productivity of the domestic industry has also improved over the period.

vi. Growth

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	POI
Capacity	%	0%	0%	31%
Production	%	-2%	-3%	7%
Domestic sales	%	-2%	0%	5%
Profit/(loss) per unit	%	17%	-23%	-47%
Cash profit	%	43%	-34%	-16%
Return on capital employed	%	-11%	-29%	-72%

75. It is seen that while the capacity of the domestic industry showed growth during the POI; production and sales showed a decline till 2017-18 and then a slight growth during the POI with an increase in

capacity. Insofar as the profitability parameters of the domestic industry are concerned, while the domestic industry showed growth in 2016-17, its performance has been adverse thereafter.

vii. Ability to Raise Capital Investment

76. The Authority notes that the profits of the domestic industry have declined as the volume of imports increased and the imports suppressed and depressed the prices of the domestic industry. The domestic industry has earned a low return on its capital employed.

viii. Factors Affecting Prices

77. With regard to factors affecting prices, the Authority notes the trends of prices of the domestic industry, imports from Subject Country and other imports, as under.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Domestic industry	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	99	94	94
Imports from Subject Country	Rs./MT	44,946	46,376	39,316	40,627
	Indexed	100	103	87	90
Other imports	Rs./MT	59,104	59,090	51,274	63,587
	Indexed	100	100	87	108

78. The Authority notes that the price of imports from the subject country and other imports moved in tandem till 2017-18. However, during the POI, while the price of other imports increased by 24%, the price of imports from the subject country increased by only 3%. This, in turn, led to an increase in the demand for the imports from the subject country, thereby creating a pressure on the prices of the domestic industry. As a result, the domestic industry has also not been able to increase its prices, in line with the increase in price of other imports. This shows that imports from the subject country are affecting the prices of the domestic industry.

ix. Magnitude of Dumping

79. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

K. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

80. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.
81. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:-

Non-Injurious Price (USD/MT)	Landed Price (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin (%)	Injury Margin Range
***	574	***	***	30-40%

Overall Assessment of Injury

82. Examination of the imports from the subject country and performance of domestic industry shows that despite anti-dumping duties in force, the imports from the subject country increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and the price underselling is positive. The imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry. Capacity, production and sales of the domestic industry have increased as a new plant has been set up by Grasim Industries Limited. Market share of the domestic industry has declined as compared to the base year, but has increased as compared to the preceding year. Employees, wages and productivity of the domestic industry have increased. Performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of profit, cash profit and return on capital employed. While the volume parameters of the domestic industry have shown a marginal growth during the POI, the growth in profitability parameters has been negative. While the price of imports from other countries increased, the price of imports from the subject country declined. The dumping margin is positive and significant.

L. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

83. The Authority observes that this is an SSR investigation, the focus of this investigation is to examine the likely scenario of continued dumping and consequent injury if ADD is to be allowed to expire even if there is no current injury. This also requires a consideration of whether the duty imposed is serving the intended purpose of eliminating injurious dumping.
84. All factors brought to the notice of the Authority have been examined to determine as to whether there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury in the event of cessation of the duty. The Authority has considered various information, as made available by the domestic industry, in order to evaluate the likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury.
85. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia* for factors which are required to be taken into consideration viz.:
- A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation;
 - Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;
 - Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
 - Inventories of the article being investigated.

i. Continued Dumping

86. The Authority notes that the exporters continue to dump imports from the subject country into Indian market. In the event of cessation of ADD, the exporters are likely to continue dumping.

ii. Current volume of Imports

87. It is seen that the volume of imports has increased despite ADD in force. The fact that the imports have increased despite duties in force indicates that the imports are likely to increase further in the event of cessation of duties. This is primarily because the import price is significantly lower than the price of goods sold by the domestic industry and the price of other imports. This would increase demand for the cheaper imports from the subject country.

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualised
Imports from Subject Country	MT	4,235	5,249	3,054	8,069	6,455

iii. Imports entering at prices likely to have a suppressing or depressing effect

88. The analysis of price undercutting, price depression, and price suppression indicates that in the event of cessation of ADD, the dumped imports are likely to have a suppressing or depressing on prices of the domestic industry in the market. It is noted that imports from the subject country without ADD are priced significantly lower than the cost of production of the domestic industry. Therefore, in the event of expiry of duty, the imports are likely to have a significant adverse impact on the prices of the domestic industry.

Particulars	Unit	POI
Cost of sales	Rs./MT	***
Selling price	Rs./MT	***
Landed price	Rs./MT	40,627

iv. India as a large market for the exporters

89. The Authority notes that as per the data available on record, India accounts for more than one-fourths of the total exports from the subject country and is the single largest market for the exporters in the subject country. This shows that despite ADD in force, India has continued to be a critical market for the exporters in the subject country, and they have not shifted to other export markets. Thus, in the event of cessation of duty, India is likely to remain a target market for the exporters in the subject country.

v. Potential of Exports of Subject Goods to the Indian market

90. The Authority notes that the evidence provided by the Applicants shows that India is an attractive market for the exporters, and in the event of cessation of duty, an additional volume of 15,288 MT may be further diverted to the Indian market. This would bring the total exports from the subject country to India to 23,415 MT. About 23% of the global exports from the subject country was at a rate lower than that exported to India in 2018.

Particulars	Unit	POI
Total exports	MT	28,503
Exports to India	MT	8,127
Lower-priced exports to other countries	MT	15,288
Total likely exports to India	MT	23,415
Share of total exports	%	82%

M. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

91. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the Domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

a. Volume and Prices of Imports from Third Countries:

92. It is seen that there are significant imports from other countries such as China PR, Israel, Mexico, Taiwan and Vietnam. However, the price of these imports is significantly higher than the price of imports from the subject country.

Imports from	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Subject country	Rs./MT	43,111	45,283	39,316	40,627
China PR	Rs./MT	56,668	53,574	54,254	59,136
Israel	Rs./MT	-	63,861	-	63,079
Mexico	Rs./MT	67,365	60,607	52,558	60,873
Taiwan	Rs./MT	44,934	45,766	43,066	51,863
Vietnam	Rs./MT	65,512	62,533	49,414	63,366

93. It is seen that the price of imports from these countries is significantly higher than the price of imports from the subject country. The imports from other countries, excluding the above mentioned countries, constitute only 1,162 MT, or 2% of the total imports. Therefore, the imports of third countries have not caused injury to the domestic industry.

b. Contraction in Demand

94. It is seen that the demand of the subject goods has increased over the injury period with only a marginal decline in the period of investigation, as compared with the previous year. On a totality basis, demand for the subject goods increased by 22% over the period. Therefore, contraction in demand cannot be considered as a reason of injury to the domestic industry.

c. Developments in Technology

95. It is noted that the technology for producing subject goods has not undergone any change and therefore, could not have caused injury to the domestic industry.

d. Conditions of Competition and Trade Restrictive Practices

96. The investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for the claimed injury to the domestic industry.

e. Export Performance of the Domestic Industry

97. The domestic industry has exported a small share of its production. However, the injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

f. Productivity

98. The productivity of the domestic industry has improved over the period, and thus, the deterioration in performance of domestic industry cannot be attributed to a decline in productivity.

Conclusion on Injury and Causal Link

99. The Authority notes that the dumped imports of the subject goods from the subject country have increased significantly after imposition of definitive ADD on subject imports. Imports of the product are undercutting the prices of the Domestic Industry in the market. Further, while the cost of production had increased over the injury period, the increase in selling price is less than increase in cost of production while the landed price of subject goods continue to be less than selling price and cost of sales. The imports are, thus, suppressing the prices of the Domestic Industry, and preventing the price increases that would have otherwise occurred in the absence of dumped imports.
100. The Authority notes that the Domestic Industry has suffered injury on account of both volume as well as price effect of dumped imports, as a result of which the profitability of the domestic industry has declined. It is also noted that return on capital employed, profits and cash profits have been adversely effected in POI. Thus, growth in respect of most of the parameters such as profits, cash profits, and return on capital employed, shows an adverse impact on the domestic industry.

101. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, an analysis of the performance of the Domestic Industry over the injury period shows that the performance of the Domestic Industry has deteriorated due to dumped imports from subject country. Causal link between dumped imports and the injury to the Domestic Industry is established on the following grounds:

- a. There is significant and continued dumping of the subject goods in India.
- b. The availability of imports at cheap prices has increased the demand for the subject goods.
- c. The imports have increased both in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.
- d. The imports have gained in terms of market share, at the cost of other imports.
- e. While the domestic industry has been able to increase its market share, it has not been able to increase its sales in line with the increase in capacity.
- f. The imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry and thus, created a strain on the prices of the domestic industry.
- g. The imports have suppressed and depressed the selling prices of the domestic industry.
- h. If duty is allowed to expire, the imports are likely to have suppressing or depressing effect on the prices of the domestic industry.
- i. As a result, the domestic industry suffered significant decline in profits, cash profits and return on investments.

N. POST-DISCLOSURE COMMENTS

Submissions of the domestic industry

102. The domestic industry has reiterated its submissions with regard to the determination of normal value. In particular, the domestic industry has argued that since the exporters in the subject country have not cooperated with the Authority, adverse facts available should be applied and normal value should be determined on the basis of highest cost of production of the domestic industry. The domestic industry has asked for the methodology adopted for calculation of NIP to be explained.

Submissions of other interested parties

103. No submissions have been made by the other interested parties.

Examination by the Authority

104. The Authority notes that the post-disclosure comments / submissions made by the interested parties are reiterations and already examined suitably and adequately addressed in the relevant paras of these final findings. Other post-disclosure comments/submissions made by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

105. As far as the determination of normal value for exporters / importers from Korea RP is concerned, it is noted that none of the producers/exporters from the subject country have participated in the investigation. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules, as per the practice of the Authority in this regard.

106. With regard to the methodology adopted for NIP calculations, it may be noted that the Authority has calculated the NIP as per the guidelines laid down in Annexure-III and as per the practice of the Authority. The NIP has been calculated on the basis of actual data of raw materials, utilities & capacity as made available by the Domestic Industry.

O. CONCLUSION ON LIKELIHOOD OF DUMPING AND INJURY

107. The evidence on record shows that there is continued dumping of the subject goods. Despite the duties in force, the volume of imports has increased in absolute terms, and in relation to production and consumption. Dumping of the subject goods from Korea RP continues and imports of subject goods are being made at prices which are suppressing and depressing the prices of the domestic

industry, and are below the non-injurious price. As a result, while the volume parameters of the domestic industry have shown improvement, there has been a decline in terms of profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry. Further, it is noted that the imports continue to be priced below the cost and prices of the domestic industry, which indicates that in the event of the expiry of duty, the imports are likely to have a further suppressing and depressing effect on the prices of the domestic industry. The Authority also notes that India is the largest export market for the producers in the subject country, and is also a price attractive market. Thus, in the event of expiry of duty, it is likely to be a target market for the producers in the subject country. Thus, all these parameters indicate that in the event of cessation of ADD, dumping of the subject goods is likely to continue, causing injury to the domestic industry.

P. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

108. The Authority notes that the purpose of ADD, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
109. It is recognized that the imposition of ADD might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject good

Q. CONCLUSION

110. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings, and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- a. There is continued dumping of the subject goods from subject country and the imports are likely to enter the Indian market at dumped prices in the event of expiry of duty.
 - b. The domestic industry has suffered continued injury on account of dumped imports from the subject country.
 - c. The information on record shows likelihood of continuation of dumping and injury in case the Anti-dumping duty in force is allowed to cease at this stage.
 - d. There is sufficient evidence to indicate that the revocation of anti-dumping duty at this stage will lead to continuation of dumping and injury to the Domestic Industry.

R. RECOMMENDATIONS

111. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
112. Having concluded that there is positive evidence on the aspect of dumping, injury and causal link and likelihood of dumping and injury if the existing ADD are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the import of the PUC from the subject country.
113. Under the circumstances, the Designated Authority considers it appropriate to recommend continuation of definitive anti-dumping duty, as modified, for a further period of 5 years from the date of its imposition, on all imports of the subject goods from the subject country as per column 7 in the duty table below:

DUTY TABLE

SN	Tariff Heading*	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2809 20 10	Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)	Korea RP	Any Country including Korea RP	Any	137	USD	MT
2	2809 20 10	Phosphoric Acid of all grades and all concentrations (excluding Agriculture/Fertilizer Grade)	Any Country other than Korea RP	Korea RP	Any	137	USD	MT

114. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time.
115. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the with the relevant provisions of the Act.

BIDYUT BEHARI SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority